

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2014/डी- 293

दिनांक:- 20/2/2014

--:कार्यवाही विवरण:--

विषय :-भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 152वीं बैठक दिनांक 14.02.2014 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	152.1	बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 150वीं बैठक दिनांक 31.10.2013 एवं 151वीं बैठक दिनांक 12.11.2013 को सम्पन्न हुई, कार्यवाही विवरण में लिये गये निणयों की क्रियान्वीति की समिक्षा बाबत्।	बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 150वीं बैठक दिनांक 31.10.2013 एवं 151वीं बैठक दिनांक 12.11.2013 को सम्पन्न हुई, कार्यवाही विवरण में लिये गये निणयों की पुष्टि की गई।
2.	152.2	भूखण्ड संख्या 26, सैन कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर के प्रस्तावित फ्लैट्स के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. मौके पर निर्मित अस्थाई स्टोर का हटाने बाबत् आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
3.	152.3	भूखण्ड संख्या एफ-190, चेतन्य मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट/खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
4.	152.4	भूखण्ड संख्या सी-1, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. प्रकरण में बी.पी.सी. (बी.पी.) की 147 वी बैठक दिनांक 25-26.09.2013 में प्रस्तावित भूखण्ड का उपविभाजन/ पुनगठन कीये जाने का निर्णय लिया गया था। न.वि.विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 3.10.12 अनुसार भूखण्ड का पुनगठन/उपविभाजन 1975 से पूर्व हो चुका है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 3.10.2013 के निदेश को मध्य नजर रखते हुये पूर्व में बी.पी.सी की 147 वी बैठक दिनांक 25-26.9.2013 में लिये गये निर्णय को with draw/खारिज किया जावे। 2. स्टिल्ट फ्लोर व बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे, कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 4. आवेदक द्वारा सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित किया गया है। अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 5. मौके पर भूखण्ड में भूतल व प्रथम तल में भवन व कुछ अस्थायी टीन शेड निर्मित है, जिसको हटाने के संबंध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे।

			<p>6. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 40 मीटर से अधिक है। अतः संशोधित भवन विनिमय-2012 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे।</p> <p>7. अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी पत्र अनुसार अग्निशमन उपकरण 44 मीटर के उपलब्ध होने के कारण 60 मीटर ऊँचाई की अनुशंषा से साथ प्रथम चरण में 44 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय की जावे।</p> <p>8. प्रकरण में आवेदक द्वारा 45.0 मीटर ऊँचाई से अधिक अर्थात् 59.40 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये है। अतः एम.एन.आई.टी./एन.आई.टी./आई.आई.टी. से स्ट्रक्चरल सेफ्टी के सम्बन्ध में अधिकतम 3 माह के भीतर सर्टिफिकेट लिया जावे।</p> <p>9. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
5.	152.5	भूखण्ड संख्या 1, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के संशोधित मानचित्र अनुमोदन एवं अधिवास प्रमाण पत्र बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मौके पर मैकेनिकल पार्किंग एवं सोलर पैनल विस्थापित किये जाने के उपरान्त प्रकरण को समिति के समक्ष पुनः रखा जावे।
6.	152.6	खसरा संख्या 36/3 पार्ट, ग्राम-परसरामपुरा, तहसील-जयपुर, सीकर रोड, जयपुर के प्रस्तावित वाणिज्यिक सह आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(34)नवि/3/2001 पार्ट दिनांक 18.04.2013 के अनुसार 40 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों के मानचित्र की स्वीकृति राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त अनुज्ञेय होगी। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भवन की उंचाई 40 मीटर से कम है अतः उपरोक्त आदेश दिनांक 18.04.2013 अनुसार राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं ली जावे एवं पूर्व में बीपीसी (बीपी) की बैठक दिनांक 05.03.13 के बिन्दु संख्या 4 के निर्णय को खारिज/with draw किया जावे।
7.	152.7	भूखण्ड संख्या 3ए ग्रुप हाउसिंग व व्यवसायिक योजना बाईपास रोड, जवाहर सर्किल के पास के सांस्थानिक भवन (अस्पताल) के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत व तृतीय तल तक अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति के समक्ष उपायुक्त जोन द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर लीज राशि बकाया है, जिस पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम बकाया लीज राशि का मांग पत्र उपायुक्त जोन द्वारा जारी किया जावे एवं लीज राशि ₹ 40.00 लाख प्राप्त की जाकर उपायुक्त जोन से पुष्टि उपरान्त प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष रखा जावे।
8.	152.8	खसरा नम्बर 82/528, 583/83, 85, 86, 87, 88/2 ग्राम दुर्गापुरा, टोंक रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर के व्यवसायिक भूखण्ड पर प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 4. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 5. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 40 मीटर से अधिक है। अतः संशोधित भवन विनिमय-2012 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे। 6. अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी पत्र अनुसार अग्निशमन उपकरण 44 मीटर के उपलब्ध होने के कारण 60 मीटर ऊँचाई की अनुशंषा से साथ प्रथम चरण में 44 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय की जावे। 7. आवेदक द्वारा 45.0 मीटर ऊँचाई से अधिक अर्थात् 60.0 मीटर

			<p>ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। अतः एम.एन.आई.टी./एन.आई.टी./आई.आई.टी. से स्ट्रक्चरल सेफ्टी के सम्बन्ध में अधिकतम 3 माह के भीतर सर्टिफिकेट लिया जावे।</p> <p>8. मानक एफ.ए.आर. 1.33 तथा अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 3.75 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 3.19 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>9. जयपुर भवन विनियम अनुसार किसी प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15.00 मीटर से अधिक होने पर फायर स्टेयर्स का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। फायर स्टेयर्स केस का प्रावधान किये जाने हेतु आवेदक को पत्र दिनांक 20.1.14 से सूचित किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.1.14 के अनुसार अन्य मुख्य शहरों में आवासीय भवनों की प्रेशराइज स्टेयर केस को फायर स्टेयर केस के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है, तदुनुरूप प्रश्नगत भूखण्ड में भी प्रेशराइज स्टेयर केस को फायर स्टेयर्स के रूप में लिये जाने का निवेदन किया गया है, विकासकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुये एवं अवगत करवाया की अग्निशमन अधिकारी नगर निगम द्वारा प्रेशराइज स्टेयर केस को फायर स्टेयर्स के रूप में मानते हुये अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र (मय मानचित्र) जारी किया गया है, अतः उक्त प्रेशराइज स्टेयर केस को फायर स्टेयर्स के रूप में माना जावे।</p> <p>10. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
9.	152.9	भूखण्ड संख्या 156, 157, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड में प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सर्वप्रथम मौके पर निर्मित दुकानों का कब्जा हटवाया जाकर सड़क मार्गाधिकार की भूमि का कब्जा उपायुक्त जोन को सम्मलवाया जावे। 2. प्रश्नगत भूखण्ड मेट्रो रूट पर स्थित होने के कारण विकासकर्ता द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् प्रकरण पुनः समिति के समक्ष रखा जावे।</p>
10.	152.10	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 1 से 4 एवं 22 से 25, उदय नगर 'बी', न्यू सांगानेर रोड, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>पूर्व में प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 132वीं बैठक दिनांक 04.04.13 में प्रस्तुत कर सशर्त अनुमोदन किये लाने का निर्णय लिया गया जिसमें बिन्दु संख्या 4 अनुसार "प्रस्तावित भवन की संरचनात्मक सुरक्षा के संबंध में एम.एन.आई.टी. से 3 माह में सर्टिफिकेट लिया जावे। विकासकर्ता द्वारा भवन की ऊँचाई 44.95 मीटर प्रस्तावित की है जिस पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भवन की ऊँचाई 45 मीटर से कम है अतः एम.एन.आई.टी./आई.आई.टी./एन.आई.टी. से संरचनात्मक सुरक्षा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अतः पूर्व में भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 132वीं बैठक दिनांक 04.04.13 में लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 4 को विलोपित किया जावे।</p>
11.	152.11	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 12, 13, 175 से 179, निर्माण नगर, एबी, डी.सी.एम., अजमेर रोड, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मौके पर संरचनात्मक 10वीं मंजिल का निर्माण किया गया है एवं 11वीं तल की शटरिंग का कार्य चल रहा है अतः पूर्व में स्वीकृत मानचित्र 30 मीटर (9 मंजिल) के अतिरिक्त किये गये निर्माण की नियमानुसार बिना अनुमति शास्ति ली जावे। 2. प्रत्येक फ्लौर पर स्वीकृत 1.2 मीटर बालकनी से अधिक निर्मित अतिरिक्त क्षेत्र को हटवाया जावे। 3. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे।

			<p>4. विकासकर्ता द्वारा द्वारा पूर्व अनुमोदन के अतिरिक्त उंचाई का प्रस्ताव दिया गया है। अतः स्ट्रक्चरल सेफ्टी का सर्टिफिकेट लिया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
12.	152.12	भूखण्ड संख्या एस.पी.-2, खसरा नं. 139/157, 160/139/158, उदय नगर-ए, ग्राम बदरवास, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय गुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में जविप्रा द्वारा स्थल मानचित्र में प्रकरण में मानक एफ.ए. आर. 1.2 अनुमोदित किया गया है। भवन विनियम 2011 की तालिका '2' के अनुसार 2500 वर्ग मीटर एवं अधिक परन्तु 5000 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है। अतः संशोधित विनियमानुसार मानक एफ.ए.आर. 1.33 माना जावे। 4. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी जी जावे। 5. वर्तमान में आवेदित भूखण्ड के एक कॉर्नर में 3'x10' व 10'x10'-6" की पक्की दो कोटरिया बनी हुई है। जिनके हटाने के संबध में आवेदक से अंडरटेकिंग/शपथ पत्र लिया जावे। 6. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>
13.	152.13	भूखण्ड संख्या 115 व 116 विश्वेसरिया नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पार्किंग प्रस्तावित हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. मौके पर 8'-0" X 15'-0" का एक अस्थाई कमरा बना हुआ है, जिसे हटाने के संबध में आवेदक से अण्डरटेकिंग/शपथ पत्र लिया जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>
14.	152.14	भूखण्ड संख्या 32, 33, 34 गायत्री नगर-ए, दुर्गापुरा, जयपुर के प्रस्तावित फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.2 अनुज्ञेय है आवेदक द्वारा 2.268 प्रस्तावित किया गया है अतः मानक एफ.ए.आर. 1.2 से अतिरिक्त प्रस्तावित एफ.ए.आर. पर बेटरमेन्टलेवी ली जावे। 4. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>
15.	152.15	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 22, 23, 24, 25, 91 व 92 योजना गोपाल नगर-ए एवं अशोक विहार विस्तार गोपालपुरा बाई पास जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक परिसर के भवन	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बेसमेन्ट/खुले पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग

		मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.2 अनुज्ञेय है आवेदक द्वारा 1.995 प्रस्तावित किया गया है अतः मानक एफ.ए.आर. 1.2 से अतिरिक्त प्रस्तावित एफ.ए.आर. पर बेटरमेन्टलैवी ली जावे। 4. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>
16.	152.16	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 योजना 4-सी, जमनापुरी, मुरलीपुरा, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया मौके पर विद्यमान सडक को मध्यनजर रखते हुये ओवदक द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त दो मंजिल के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जावे।</p>
17.	152.17	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 99, 100, 101, 102, 102ए, शिव विहार सैन कॉलोनी सीकर रोड जयपुर के आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर व खुले पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. मौके पर निर्मित टीनशेडनुमा स्टैक्चर को हटवाये जाने के संबंध में अण्डरटेकिंग ली जावे। 4. मानक एफ.ए.आर. 1.2 से अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 5. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>
18.	152.18	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 38 से 41, नेमी नगर विस्तार, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर व बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। प्रस्तावित भवन की 2. ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.2 तथा बेटरमेन्टलैवी सहित 2.75 अनुज्ञेय है आवेदक द्वारा 2.489 प्रस्तावित किया गया है अतः मानक एफ.ए.आर. 1.2 से अतिरिक्त प्रस्तावित एफ.ए.आर. पर बेटरमेन्टलैवी ली जावे। 4. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>
19.	152.19	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 402 व 403, ऑफिसर्स कैम्पस विस्तार, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. भवन विनियम 2010 संशोधित 2011 की तालिका 1 अनुसार अधिकतम उंचाई 14 मीटर अनुज्ञेय है जबकि भवन विनियम

			<p>20.09.2013 को जारी संशोधन के बिन्दु संख्या 3 (घ) अनुसार ऊंचाई 15 मीटर अनुज्ञेय है अतः प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन की ऊंचाई 15 मीटर अनुज्ञेय की जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावें।</p>
20.	152.20	भूखण्ड संख्या 51, 52, 53, 53, वशिष्ठ मार्ग, हनुमान नगर-ए, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर व बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. मानक एफ.ए.आर. 1.2 से अधिक एफ.ए.आर. के लिये बेटरमेन्टलैवी ली जावे। 4. भूखण्ड संख्या 51 व 54 पर निर्मित भवन को हटाये जाने के संबंध में अण्डरटेकिंग ली जावे। 5. भूखण्ड के पीछे 30 फीट सड़क की ओर 1.6 मीटर छोड़कर बेसमेंट में जाने हेतु रेम्प प्रस्तावित किया गया है जिसके स्थान पर 3.6 मीटर छोड़ते हुये रेम्प प्रस्तावित करते हुये संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें। 6. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावें।</p>
21.	152.21	भूखण्ड संख्या 117 विद्युत नगर-बी क्वीन्स रोड, जयपुर के प्रस्तावित अपार्टमेंट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. वर्तमान में दिनांक 20.09.2013 को जारी आदेशानुसार "500 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 750 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड जो कि 12 मीटर या उससे अधिक परन्तु 18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित हो में प्रत्येक तल पर अधिकतम तीन आवासीय इकाई अनुज्ञेय होगी एवं ऐसे भूखण्डों में अधिकतम स्टिल्ट + 3 तल (अधिकतम 12 मीटर) अनुज्ञेय होंगे। पार्किंग उपयोग हेतु स्टिल्ट का निर्माण अनिवार्य होगा।" अतः प्रश्नगत भूखण्ड पर जारी आदेश दिनांक 20.09.13 अनुसार भूखण्ड पर अधिकतम स्टिल्ट + 3 तल (अधिकतम 12 मीटर) अनुज्ञेय की जावें। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावें।</p>
22.	152.22	पूर्णगठित भूखण्ड संख्या 325 से 327 एवं 336 से 339, ऑफिसर्स कैम्पस विस्तार, संयुक्त गृह निर्माण समिति में 15 मीटर (स्टिल्ट सहित) ऊंचाई में संशोधन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड 60 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है भवन विनियम 2010 के अनुसार भवन की ऊंचाई सड़क की चौड़ाई के डेढ गुणा+सामने के सेटबेक के बराबर अर्थात् 99 मीटर अनुज्ञेय की जा सकती है। अतः आवेदक द्वारा चाही गई भवन की ऊंचाई 36 मीटर अनुज्ञेय की जावे एवं संयुक्त शासन सचिव तृतीय नगरीय विकास विभाग को उनके पत्र दिनांक 12.09.2013 के क्रम में सूचित भी कर दिया जावे।</p>
23.	152.23	भूखण्ड संख्या 201, गंगासागर-बी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर के प्रस्तावित मिश्रित भू-उपयोग भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. भूखण्ड पर एक अस्थाई छोटा कमरा बना हुआ है जिसे हटाने के संबंध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावें।</p>

24.	152.24	भूखण्ड संख्या 9 ब्लॉक बी गोविन्दपुरा करधनी योजना में प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा पार्श्व एवं पीछे के सैट 6.0 प्रस्तावित किये गये हैं। आवेदन तिथी के समय प्रचलित भवन विनियम में पार्श्व पर पूष्ट सैटबैक 6 मीटर रखा जाना प्रावधानित था किन्तु वर्तमान संशोधित विनियम दिनांक 20.09.13 अनुसार 30 मीटर से अधिक एवं 40 मीटर तक पार्श्व व पीछे का सैट बैक 7.5 मीटर रखा जाना अनिवार्य है। अतः पार्श्व एवं पीछे के सैटबैक 7.5 मीटर रखते हुये संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें एवं प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष रखा जावे।
25.	152.25	खसरा नम्बर 51/1/1, (परिवर्तित खसरा नम्बर 51/308) ग्राम-गोकुलपुरा, कालवाड रोड, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:- 1. स्टिल्ट फ्लौर/बेसमेन्ट में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.80 अनुज्ञेय है आवेदक द्वारा 1.87 प्रस्तावित किया गया है अतः मानक एफ.ए.आर. 1.80 से अतिरिक्त प्रस्तावित एफ.ए.आर. पर बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 4. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावें।
26.	152.26	खसरा नम्बर 16/1, ब्लॉक ए (निजी खातेदार) ग्राम धावास, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया आवेदक द्वारा संशोधित मानचित्र में मेकेनिकल कार पार्किंग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिस पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि रिहायशी मकान में मेकेनिकल पार्किंग को उपयोग एवं रख-रखाव हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः आवेदक से सर्फेस पार्किंग रखते हुये संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।
27.	152.27	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या आर सी 89, 90, 91, नारायण विहार-आर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा पार्श्व एवं पीछे के सैट 6.0 प्रस्तावित किये गये हैं। आवेदन तिथी के समय प्रचलित भवन विनियम में पार्श्व पर पूष्ट सैटबैक 6 मीटर रखा जाना प्रावधानित था किन्तु वर्तमान संशोधित विनियम दिनांक 20.09.13 अनुसार 30 मीटर से अधिक एवं 40 मीटर तक पार्श्व व पीछे का सैट बैक 7.5 मीटर रखा जाना अनिवार्य है। अतः पार्श्व एवं पीछे के सैटबैक 7.5 मीटर रखते हुये संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें एवं प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष रखा जावे।
28.	152.28	भूखण्ड संख्या 104, 105, 106, 126, 127 व 128, नारायण सागर-ए, बी, सी, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:- 1. स्टिल्ट फ्लौर/खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.2 अनुज्ञेय है आवेदक द्वारा 1.701 प्रस्तावित किया गया है अतः मानक एफ.ए.आर. 1.2 से अतिरिक्त प्रस्तावित एफ.ए.आर. पर बेटरमेन्टलेवी ली जावें उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावें।
29.	152.29	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 11, 12, 19 व 20 निजी खातेदारी की आवासीय योजना रामेश्वर धाम, ग्राम गणपतपुर, तह. सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेंट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:- 1. स्टिल्ट फ्लौर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति

			<p>प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. प्रकरण में जविप्रा द्वारा जारी पुनर्गठित स्थल मानचित्र में मानक एफ.ए.आर. 1.20 अकिंत है आवेदक द्वारा 2.097 प्रस्तावित किया गया है अतः मानक एफ.ए.आर. 1.20 से अतिरिक्त प्रस्तावित एफ.ए.आर. पर बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>4. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>
30.	152.30	गुप हाउसिंग भूखण्ड ख.न. 22, 22/1, 23, 23/1, 24/1 ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास सांगानेर जयपुर।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट/ओपन पर प्रस्तावित हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावेगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 40.00 मी से अधिक है। अतः संशोधित भवन विनियम-2012 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे।</p> <p>3. अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी पत्र अनुसार अग्निशमन उपकरण 44 मीटर के उपलब्ध होने के कारण 60 मीटर ऊँचाई की अनुशंषा से साथ प्रथम चरण में 44 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय की जावे।</p> <p>4. आवेदक द्वारा 45 मी. ऊँचाई से अधिक अर्थात् 59.775 मी. ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये है। म.एन.आई.टी./एन.आई.टी./आई.आई.टी. से स्ट्रक्चरल सेफ्टी के सम्बन्ध में अधिकतम 3 माह के भीतर सर्टिफिकेट लिया जावे।</p> <p>5. प्रकरण में आवेदित भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 18,761.00 व.मी. है, तथा उक्त भूखण्ड की 90 बी 28/7/2005 को की गई थी (संलग्न है) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.3(77)न.वि.वि. पार्ट-1 के अनुसार जिन योजनाओं की 90बी दिनांक 23.12.2009 से पूर्व की जा चुकी है, उन पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के प्रावधान ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी. हेतु क्षेत्र आरक्षित किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः आवेदक द्वारा ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी. प्रस्तावित नहीं किया गये है। जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>6. मौके पर आवेदक द्वारा बेसमेंट की रिटेनिंग वाल तथा कॉलम फुटिंग (कुल क्षेत्र 3400 व.मी.) का कार्य बिना अनुमति किया गया है, जिस पर छत नहीं डाली गई है। अतः भवन नियम बद्धता/नियमितिकरण नियम 1989 के अनुसार बिना अनुमति निर्माण की शास्ति ली जावे।</p> <p>7. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.036 एफ.ए.आर प्रस्तावित किया गया है। अतः मानक एफ.ए.आर से अधिक एफ.ए.आर की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>8. आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2014 उनके अन्य प्रोजेक्ट भूखण्ड संख्या 6 जवाहर सर्किल के पास की बकाया लीज राशि रूपये 1,47,79,288 जरिये चालान संख्या 297896 दिनांक 18.02.2014 जमा करवाई गई है, जिसकी पृष्टि उपायुक्त जोन 4 से करवाई जावे।</p> <p>9. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>
31.	152.31	खसरा संख्या 884/1, 885/1, 894 व 895 ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील सांगानेर जयपुर के प्रस्तावित समूह आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि</p>

			<p>सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. प्रकरण में जविप्रा द्वारा जारी स्थल मानचित्र में मानक एफ.ए.आर. 1.20 अंकित है भवन विनियम 2011 की तालिका 3 अनुसार मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है अतः भवन विनियम 2011 के अनुसार मानक एफ.ए.आर 1.33 दिया जावे।</p> <p>4. आवेदक द्वारा 645.66 वर्गमीटर निर्मत क्षेत्र में ई.डब्ल्यू.एस./एल. आई.जी. प्रस्तावित किये गये है जो कुल प्रस्तावित एफ.ए.आर. का 5.76 प्रतिशत है जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>5. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>
32.	152.32	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (पार्ट-ए) खसरा नम्बर 712, 713, 830/714, 715, 716, 717, 831/718, 719, 720, 733/721, गुलमोहर रेजीडेन्सी, ग्राम महल, जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अप्ण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>4. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 40 मीटर से अधिक है। अतः संशोधित भवन विनियम-2012 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे।</p> <p>5. अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी पत्र अनुसार अग्निशमन उपकरण 44 मीटर के उपलब्ध होने के कारण 60 मीटर ऊँचाई की अनुशंषा से साथ प्रथम चरण में 44 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय की जावे।</p> <p>6. आवेदक द्वारा 45.0 मीटर ऊँचाई से अधिक अर्थात् 60.0 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये है। अतः एम.एन.आई.टी./आई.आई.टी./एन.आई.टी. से स्ट्रक्चरल सेफटी के संबंध में अधिकतम 3 माह के भीतर सर्टिफिकेट लिया जावे।</p> <p>7. आवेदक द्वारा प्रस्तावित कुल एफ.ए.आर. 58847.42 वर्ग मीटर के 5 प्रतिशत के हिसाब से 2942.37 वर्ग मीटर सकल निर्मित क्षेत्र के बराबर EWS/LIG आवश्यक है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड पर 30 EWS व 36 LIG के कुल 66 फ्लैट प्रस्तावित किये गये है, जिनका कुल सकल निर्मित क्षेत्रफल 3272.16 वर्ग मीटर प्रस्तावित किया गया है जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>8. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33+0.5 (EWS/LIG) अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 3.069 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33+0.5=1.83 (EWS/LIG) से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>10. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>
33.	152.33	खसरा नं. 8 व 9 ग्राम बल्लुपुरा बुटिक होटलम इण्डिया प्रा0लि0 के रिसार्ट भवन का अधिवास प्रमाण पत्र बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि जविप्रा द्वारा दिनांक 26.11.2012 को संशोधित मानचित्र अनुमोदित किये गये थे तदनुसरूप ही मौके पर निर्माण कार्य किया हुआ है अतः जोन से स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जाकर विकासकर्ता को अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जावे।</p>
34.	152.34	खसरा नं. 2186/1 ग्राम मुहाना तह. सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. स्टिल्ट फ्लौर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से</p>

			<p>जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>
35.	152.35	<p>खसरा नम्बर 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527 एवं 529, ग्राम-नींदड़, तहसील-आमेर, सीकर रोड़, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. स्टिल्ट एवं खुले क्षेत्र पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>4. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 + 0.5 तथा अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 3.25 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.036 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 + 0.5=1.83 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>5. भूखण्ड पर अस्थाई साईट ऑफिस बना हुआ है, जिसे हटाने के सम्बन्ध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे।</p> <p>6. प्रकरण में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय प्रावधान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02.05.2012 को जारी आदेशानुसार कुल स्वीकृत योग्य एफ.ए.आर. क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल EWS/LIG उपयोग हेतु आरक्षित किया जाना आवश्यक है, इस क्रम में आवेदक द्वारा अपेक्षित 3866.22 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की तुलना में 4046.40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल उक्त वर्णित वर्ग हेतु आरक्षित करते हुए कुल 144 फ्लैट प्रस्तावित किये गये है जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>7. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>
36.	152.36	<p>खसरा नं. 637, 638, 643, 644, 663 ग्राम नींदड़ तहसील तहसील आमेर, सीकर रोड़, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. स्टिल्ट फ्लौर/बेसमेन्ट/खुलें पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. मानक एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>4. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>
37.	152.37	<p>खसरा नं. 6493/2 ग्राम चौमू नेशनल हाईवे-11 सीकर रोड़ जयपुर के प्रस्तावित</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिये गया कि स्टिल्ट</p>

		आवासीय अपार्टमेंट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	फ्लोर/खुले पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावें।
38.	152.38	खसरा नम्बर 695, 696, 702, 703, 704, 705, ग्राम-भाटेड़, तहसील- सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर अफॉडेबल हाउसिंग पालिसी के अन्तर्गत मानचित्र अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है एवं प्रश्नगत भूखण्ड की लीज डीड 2013 में जारी की गई है ऐसी स्थिति में मानक एफ.ए.आर. व अधिकतम एफ.ए.आर. के निर्धारण के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण तथ्य सहित प्रकरण राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।
39.	152.39	पुनर्गठित आई.जे.के. ब्लॉक, खसरा नम्बर 87/298, 90, 92 व 129 ग्राम हेमा की नांगल, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत पुनर्गठित भूखण्ड पर मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय किया जावें तथा आवेदक द्वारा ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है अतः वर्तमान प्रावधानानुसार 0.5 एफ.ए.आर. प्रोत्साहन स्वरूप दिया जावें एवं बीपीसी (बीपी) की 129वीं बैठक दिनांक 11.01.2013 में लिये गये अन्य निर्णयों की पालना सुनिश्चित की जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावें।
40.	152.40	भूखण्ड संख्या 17, हनुमान वाटिका (ए-7), ग्राम सालिगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय EWS ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. खुले क्षेत्र पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 4. न.वि.विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 2.5.2012 के बिन्दु संख्या (1.2) के अनुसार यदि विकासकर्ता द्वारा उसी भूखण्ड/योजना में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. क्षेत्री के आवासीय इकाईयां बनाया जाना संभव ना हो तो मुख्य भवन (ग्रुप हाउसिंग का मूल भूखण्ड) के मानचित्र अनुमोदन के आवेदन के साथ साथ आवश्यक रूप से अन्य भूमि पर ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. इकाईयों का प्रस्ताव देना होगा। जयपुर शहर में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान, 2025 में दर्शाये गये यू-1, यू-2, क्षेत्र में तथा अन्य सभी शहरों में मास्टर प्लान के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में स्वयं के स्वामित्व की आवासीय भूमि या Collaboration/Joint Venture पर या अन्य निर्माणकर्ता से ऐसी इकाईयां क्रय कर उपलब्ध करा सकेगा वशर्तें प्रस्तावित भूमि पर पहुंच के लिए सम्पर्क सड़क तथा बाह्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हों। विकासकर्ता द्वारा अपने दो प्रकरण 87/1 ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा एवं ख.नं 644 ग्राम बिल्वा पर प्रस्तावित ग्रुपहाउसिंग प्रोजेक्ट की एंवज में प्रश्नगत भूखण्ड पर ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में ख.सं. 87/1, रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील सांगानेर की आवासीय आरक्षित दर रु 4500/- प्रति व.मी. है, एवं डी.एल.सी. दर रु 2620/- प्रति बीघा निर्धारित है। तथा ख.सं 644 ग्राम बिलवा क्लां तहसील सांगानेर की आवासीय अरक्षित दर रु 2800/-प्रति व.मी. है। एवं डी.एल.सी दर 2090/-प्रति बीघा निर्धारित है। आवेदक द्वारा दोनों उपरोक्त भूखण्ड हेतु प्रश्नगत भूखण्ड संख्या-17 हनुमान वाटिका ए-7 में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. का

			<p>क्षेत्र आरक्षित किया गया है। इस भूखण्ड की आवासीय अरक्षित दर रु 2800/- प्रति व.मी. एवं डी.एल.सी दर रु 3480/-प्रति व.मी. निर्धारित है। अतः नियमानुसार दोनों भूखण्ड हेतु कुल 2467.58 व.मी. ई.डब्लू.एस/एल.आई.जी. हेतु क्षेत्र आरक्षित किया जाना आवश्यक है। आवेदक द्वारा कुल 2481.03 व.मी. क्षेत्रफल ई.डब्लू.एस/एल.आई.जी. हेतु प्रस्तावित किया है। जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>5. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावें।</p>
41.	152.41	खसरा नम्बर 64 (पार्ट), 65 (पार्ट), 72, 73, 81, 82, 83, 84 (पार्ट), 85, 86, 799, 800, 805, 808, 811 तथा 812, ग्राम-बगरू खुर्द एवं ठिकरिया, तहसील-सांगानेर, जयपुर के MIG-B/ HIG के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि अफॉडेबल हाउसिंग पॉलिसी के प्रावधानानुसार आवेदक से अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल एवं अधिकतम अनुज्ञेय ऊँचाई (60मीटर) रखते हुये संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।</p>
42.	152.42	भूखण्ड संख्या जी.एच. 3, ओमेक्स सिटी, अजमेर रोड, जयपुर के प्रस्तावित संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.80 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.635 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.80 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 4. प्रकरण में उक्त भूखण्ड की 90 'बी' वर्ष 2009 से पूर्व में की जा चुकी है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.3 (77)नवि/3/2010 पार्ट-I दिनांक 03.08.2012 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार जिन योजनाओं की 90वीं दिनांक 23.12.2009 से पूर्व में की जा चुकी है, उन पर अफॉडेबल टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानानुसार EWS/LIG हेतु क्षेत्र आरक्षित किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड पर EWS/LIG का प्रावधान आवश्यक नहीं किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 5. अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढिकरण हेतु राशि भी ली जावे।
43.	152.43	अफॉडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत श्री संजीव सांगी, निदेशक मैसर्स शिवशक्ति रियल होम प्रा.लि. को टी.डी.आर. सर्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में।	<p>विकासकर्ता द्वारा EWS/LIG के निर्मित फ्लेट्स का कब्जा संबंधित विभाग/निकाय को दिये जाने का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किये जाने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.10.2013 को दृष्टिगत रखते हुये विकासकर्ता द्वारा दोनों भूखण्डों पर उपयोग में लिये गये क्षेत्रफल के पश्चात् 42478.54 वर्ग मीटर क्षेत्रफल शेष बचता है। अतः विकासकर्ता को 42478.54 वर्ग मीटर का टी.डी.आर सर्टिफिकेट जारी किया जावे।</p>
44.	152.44	अफॉडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत श्री पारस कुमार जैन, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सिद्धा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. को टी.डी.आर. सर्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में।	<p>वर्तमान में विकासकर्ता द्वारा समीपस्थ कुछ भूमि का क्रय किया गया है जिससे मूल भूखण्ड एवं अन्य दोनों भागों के भूखण्डों के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया है, अतः विकासकर्ता द्वारा सम्पूर्ण भू-भाग में 52प्रतिशत क्षेत्रफल EWS/LIG व 48प्रतिशत क्षेत्रफल में प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर ही टी.डी.आर सर्टिफिकेट दिये जाने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।</p>
45.	152.45	अफॉडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत श्री एस.एन. माहेश्वरी अधिकृत प्रतिनिधी फॉर सिनटेक्स इण्डस्ट्रीज लि. को टी.डी.आर. सर्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में।	<p>विकासकर्ता द्वारा EWS/LIG के निर्मित फ्लेट्स का कब्जा संबंधित विभाग/निकाय को दिये जाने का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किये जाने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.10.2013 को दृष्टिगत रखते हुये विकासकर्ता को सम्पूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल 22667 वर्ग मीटर का डेढ गुणा अर्थात् 34000.50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का टी.डी.आर</p>


			सर्टिफिकेट जारी किया जावे।
46.	152.46	अफॉडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत श्री मनोज अग्रवाल, निदेशक, फॉर मैसर्स भैरव टाउनशिप प्रा.लि. को टी.डी.आर. सर्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में।	विकासकर्ता द्वारा EWS/LIG के निर्मित फ्लैट्स का कब्जा संबंधित विभाग/निकाय को दिये जाने का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किये जाने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.10.2013 को दृष्टिगत रखते हुये विकासकर्ता को सम्पूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल 29709.70 वर्ग मीटर का डेड गुणा अर्थात 44564.55 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का टी.डी.आर सर्टिफिकेट जारी किया जावे।
47.	152.47	निजी आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/टाउनशिप योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों का निर्माण किये जाने पर 0.5 एफ.ए.आर. प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाने के संबंध में नितिगत निर्णय बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया:- निजी आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/टाउनशिप योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों का निर्माण किये जाने पर 0.5 एफ.ए.आर. प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाने के संबंध में नगरीय विकास विभाग जारी आदेश क्रमांक प.3(77)नवि/3/2010 पार्ट दिनांक 02.05.12 के बिन्दु संख्या 1.10 एवं बिन्दु संख्या 3.7(1) एवं भवन विनियम में विरोधाभास है। अतः जारी आदेश दिनांक 2.05.2012 के बिन्दु संख्या 3.7 (1) के अनुसार नवीन आवेदित योजनाओं में EWS LIG के आवासीय ईकाईयों का प्रावधान किये जाने पर मानक एफएआर 1.33+0.50 (प्रोत्साहन एफएआर) = 1.83 एफएआर बिना बेटरमेन्ट लेवी के अनुज्ञेय किया जावे अथवा प्रोत्साहन स्वरूप एफएआर 0.50 भवन विनियम में उल्लेखित अधिकतम एफएआर के अतिरिक्त अनुज्ञेय किया जावे, इस संबंध में राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त किये जावे।
48.	152.48	निजी खातेदारी के व्यावासायिक भूखण्ड खसरा नं. 484/4 क्षेत्रफल 4830.77 वर्गमीटर ग्राम लुनियावास, तह. आमेर के उप-विभाजन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि दोनो उप-विभाजित भूखण्ड संख्या 484/4, 484-ए दोनो पर सेटबैक निम्नानुसार देय होंगे:- सैटबैक-सामने 15.0 मीटर शेष तीनों ओर 9.0 मीटर अन्य पैरामीटर्स भवन विनियम 2010 अनुसार देय होंगे। उप-विभाजित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति ली जावे।
49.	152.49	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 20 व 21 बजाज नगर एनक्लेव बजाज नगर, जयपुर के स्वतंत्र आवासीय के भवन के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:- 1. खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. निर्मित गेरेज को हटाये जाने के संबंध में अण्डरटेकिंग लि जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।
50.	152.50	भूखण्ड संख्या 05, जवाहर सर्किल के पास जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स क भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:- 1. पूर्व में बीपीसी (बीपी) में प्रस्तुत मानचित्र में सेटबैक क्षेत्र में मेकेनिकल कार पार्किंग प्रस्तावित की गई थी संशोधित भवन विनियम 2012 के नियम 10.1.9 के अनुसार सेटबैक क्षेत्र में मेकेनिकल कार पार्किंग अनुज्ञेय नहीं है अन्य प्रकरणों में आवासीय भवनों में मेकेनिकल पार्किंग को उपयोग एवं रख रखाव हेतु उपयुक्त नहीं माना गया है, आवेदक द्वारा समिति के समक्ष मेकेनिकल कार पार्किंग हटाते हुये वर्तमान विनियमों के प्रावधानानुसार संशोधित पार्किंग के मानचित्र प्रस्तुत किये जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 2. नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार से जारी ओदश दिनांक 04.10.2013 के क्रम में आवेदक से अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढीकरण हेतु शुल्क लिया जावे। 3. पूर्व में बीपीसी बीपी की 116वीं बैठक दिनांक 17.01.2012 के निर्णय के अनुसार मांग पत्र रूपये 1,37,51,967/- का दिनांक 09.08.2012 को अन्य शर्तों के साथ विकासकर्ता को प्रेषित किया गया था तदनुसरूप ही मांग राशि व अन्य शर्तों की पूर्ति करवाई जावे। 4. आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न चालान क्रमांक

			<p>297469 दिनांक 14.02.2014 के तहत लीज राशि रुपये 71,70,652/- जमा करावाई है जिसकी पुष्टी उपायुक्त जोन से करवाई जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>
51.	152.51	<p>भूखण्ड संख्या 05, स्वैज फार्म न्यू सांगानेर रोड़ जयपुर के प्रस्तावित व्यावासायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि बीपीसी (बीपी) 58वीं बैठक दिनांक 29.03.2007 में लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 2 अनुसार "मौके पर निर्मित भवन के टैरेस तल पर वर्षा जल के बचाव हेतु 15.67x22.92 वर्गमीटर क्षेत्रफल के कट-आउट को M.S. Section Fiber Sheet द्वारा ढका हुआ है जिसे हटवाया जावे।" आवेदक द्वारा भवन विनियम के प्रावधानानुसार उसे अनुज्ञेय किये जाने का निवेदन किया गया था जिसे समिति द्वारा अस्वीकार करते हुये इसे हटवाये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
52.	152.52	<p>खसरा नं. 33 से 43 ग्राम सुखपरिया तह. सांगानेर जयपुर (51204.60 व.ग. क्षेत्रफल) के संस्थागत प्रयोजनार्थ निर्मित भवन (जेईसीआरसी ईंजिनियरिंग कॉलेज) के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण मे नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 100 फीट चौड़ी सेक्टर प्लान/मास्टर प्लान रोड़ की ओर का सैटबैक अग्र सैटबैक माने जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके क्रम में प्रकरण को बीपीसी (बीपी) 139वीं बैठक दिनांक 30.07.2013 के निर्णय के बिन्दु संख्या 7 अनुसार रेलवे लाईन व सेक्टर रोड़ की ओर के सैटबैक को अग्र सैटबैक मानते हुये 10 प्रतिशत सैटबैक क्षेत्र को नियमबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा पुनः पत्र क्रमांक प. 3(741)नविवि/3/2011 दिनांक 27.08.2013 के तहत 100' चौड़ी सेक्टर प्लान रोड़ को पीछे का सैटबैक मानते हुये 60' के स्थान पर 30' किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई उक्त पत्र के परीपेक्ष में प्रकरण बीपीसी बीपी की 144वीं बैठक दिनांक 03.09.2013 में प्रस्तुत कर 100' चौड़ी सड़क के ओर का सैटबैक पीछे का सैटबैक मानते हुये अधिकतम 50 प्रतिशत सैटबैक क्षेत्र को नियमबद्ध किया जाने एवं शेष को हटवाया जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में आवेदक को दिनांक 18.09.2013 को सूचित किया गया।</p> <p>नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक प. 3(741)नविवि/3/2011 दिनांक 26.11.2013 में निर्देश प्रदान किये गये कि निदेशक नेशनल सोसायटी फोर इंजिनियरिंग एण्ड डवलपमेट जयपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र के क्रम में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.08.2013 द्वारा जारी स्वीकृति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये निर्णयानुसार प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन) विनियम 2009 के विनियम 8.8(iii) के अनुसार सड़क हेतु निःशुल्क समर्पित भूमि की चौड़ाई के बराबर नियमानुसार निःशुल्क समर्पित भूमि को सैटबैक का भाग माने जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।" जिस पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि चूंकि संस्था को सड़क हेतु भूमि समर्पित करवाते हुये शेष भूमि का पट्टा जारी किया गया है ऐसी स्थिति में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 26.11.2013 के क्रम में वस्तु स्थिति से अवगत करवाते हुये प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण को पुनः मार्गदर्शन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।</p>
53.	152.53	<p>खसरा नम्बर 19, 19/430, 20/1, 21/375, 74 एवं भूखण्ड संख्या आर-1, नन्दन एनक्लेव साउथ, खसरा नम्बर 18, 75, 76 व 77, ग्राम-मुरलीपुरा, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक द्वारा कुल एफ.ए.आर 70529.94 व.मी. प्रस्तावित किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक:-प. 3(1303)नविवि/3/2013 दिनांक 4.12.2013 के अनुसार प्रकरण में ख.नं. 19, 19/430, 20/1, 21/375, 74, ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर के कुल क्षेत्रफल 16487.68 व.मी. पर 1.33 एफ. ए.आर तथा भूसं आर-1 18, 75, 76, 77, ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर के कुल क्षेत्रफल 22927.96 व.मी. पर 1.8 एफ.ए.आर को मानक एफ.ए.आर देय होगा, अर्थात् कुल मानक एफ.ए.आर 63198.94 वर्ग मीटर देय होगा, इससे अतिरिक्त एफ.ए.आर पर बेटरमेन्ट

			<p>लेवी ली जावें।</p> <p>2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>3. अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के संदर्भ में जारी आदेश दिनांक 23.12.2009 के बिन्दु संख्या 3 अनुसार दिनांक 23.12.2009 से पूर्व जिन योजनाओं की 90बी की जा चुकी है उन पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के प्रावधानानुसार EWS/LIG क्षेत्र आरक्षित किया जाना आवश्यक नहीं है। पूर्णगठित भूखण्डों में से भूखण्ड संख्या आर-1, नन्दन एनक्लेव साउथ, खसरा नम्बर 18, 75, 76 व 77, ग्राम-मुरलीपुरा, तहसील-सांगानेर, जयपुर की लीजडीड वर्ष 2006 में जारी की गई जिस पर जारी आदेश दिनांक 23.08.2012 के अनुसार EWS/LIG हेतु क्षेत्र आरक्षित रखा जाना आवश्यक नहीं है। दूसरा भूखण्ड खसरा नम्बर 19, 19/430, 20/1, 21/375, 74 की लीजडीड वर्ष 2013 में जारी की गई है अतः इस भूखण्ड पर नियमानुसार EWS/LIG का प्रावधान हेतु प्रस्ताव लिया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावें।</p>
54.	152.54	खसरा नम्बर 9 ग्राम-जयसिंहपुरा, बास भांकरोटा तहसील सांगानेर, जयपुर पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्टार्थ भवन पर नियमानुसार ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी. का प्रावधान सुनिश्चित करवाने क संबंध में।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया पूर्व में मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रकरण बीपीसी (बीपी) की 125वीं बैठक दिनांक 16.01.2012 में रखा गया जिस में आवेदक द्वारा EWS/LIG क्षेत्र को फागी रोड पर अन्य भूखण्ड पर प्रस्तावित किया गया था जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया था आवेदक द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूखण्ड की 90बी अफोर्डेबल हासिंग पॉलिसी लागु होने से पूर्व की की गई होने के कारण EWS/LIG का प्रवधान आवश्यक नहीं होने पर इसे हटाया जाने का निवेदन किया गया जिस पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड की 90बी दिनांक 22.06.2009 को जारी की गई थी जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी दिनांक 23.01.2009 से लागु है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तावित EWS/LIG के प्रावधान को हटावाया जावें।</p>
55.	152.55	खसरा संख्या 2188/2, 2184, 2191/1 ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जयपुर के प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. स्टिल्ट व खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावें।</p>
56.	152.56	खसरा नं. 37/147, 37/148 व 37/151 ग्राम मानपुरा देवरी तहसील सांगानेर में प्रस्तावित आवासीय प्लेट के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल 1570.95 वर्ग मीटर है तथा उक्त भूखण्ड 30 फीट चौड़ी सडक पर स्थित है। स्टिल्ट +4 तल प्रस्तावित किये गये हैं। स्टिल्ट पर पार्किंग प्रस्तावित की गई है प्रत्येक मंजिल पर 7 ईकाईयां कुल 28 आवास ईकाईयां प्रस्तावित की गई है।</p> <p>भवन भवन विनियम 2010 व जारी संशोधन में विरोधाभास है, प्रश्नगत भूखण्ड 1570वर्ग मीटर व 9.00 मीटर चौड़ी सडक पर स्थित है। जिसके लिये कोई प्रावधान भवन विनियमों में उल्लेखित नहीं है। अतः प्रश्नगत भूखण्ड में कितनी आवासीय ईकाईयां कितनी उंचाई व कितनी मंजिलें मय स्टील्ट अनुज्ञेय की जा सकेगी इस संबंध में राज्य सरकार से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जावे।</p>
57.	152.57	नीतीगत निर्णय बाबत्।	<p>भवन मानचित्र समिति बीपी द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. सदस्य सचिव बीपीसी (बीपी) द्वारा अप्रैल 2001 से 1 अप्रैल 2013 तक स्वीकृत व्यावसायिक भवनों के मानचित्रों की सूची तैयार कर एक सप्ताह में मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को उपलब्ध करावें। मुख्य</p>

			<p>नियंत्रक प्रवर्तन के स्तर पर उक्त भवनों में स्वीकृत पार्किंग, सैटबैक इत्यादि का निरीक्षण कर आयुक्त महोदय को सूचना उपलब्ध कराई जावेगी एवं पार्किंग क्षेत्र, सैटबैक इत्यादि में अनाधिकृत निर्माण होने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. सदस्य सचिव बीपीसी (बीपी) द्वारा 1 अप्रैल 2013 से स्वीकृत सभी मानचित्रों को जविप्रा की Website पर Upload करने हेतु सिस्टम एनालिस्ट को सूची एवं स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध करावें। 3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) द्वारा समस्त जोनस से एकमुश्त लीज राशि के संबंध में सूचना संकलित की जावे एवं एकमुश्त लीज राशि की सूचना भवन मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावे। 4. भवन मानचित्र समिति बीपी द्वारा पूर्व में विकासकर्ता से 45.0 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन मानचित्रों का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर पूर्व में एम.एन.आई.टी. से स्ट्रक्चरल सेफ्टी का सर्टिफिकेट अधिकतम 3 माह के भीतर लिये जाने का निर्णय लिया गया था जिसके क्रम में समिति द्वारा पुनः विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विकासकर्ता द्वारा 45 मीटर से अधिक ऊँचाई का प्रस्ताव दिये जाने पर एम.एन.आई.टी./आई.आई.टी./एन.आई.टी. से स्ट्रक्चरल सेफ्टी के संबंध में अधिकतम 3 माह के भीतर सर्टिफिकेट लिया जावें।
--	--	--	--

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


 20/2/14
 सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
 जयपुर विकास प्राधिकरण,
 जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 152वीं बैठक दिनांक 14.02.2014 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|-------------|
| 1. श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष, |
| 2. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 3. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना), जविप्रा जयपुर। | सदस्य, |
| 4. श्री त्रिभुवनपति, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 5. श्री अनिल अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 6. श्रीमती नलिनी कटोटिया, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 7. श्री नीरज तिवाड़ी, अतिरिक्त मुख्य नियोजक बीपीसी, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव, |

विशेष आमंत्रित :-

8. श्री जी एल शर्मा, उप महानिरीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री ललित शर्मा, निदेशक अभियांत्रिकी द्वितीय, जविप्रा जयपुर।
10. श्रीमती ममता राव, उपायुक्त जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री लोकेश सहल, उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
12. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।
13. उषा जैन सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री शमशुद्दीन, अधिशासी अभियंता, बीपीसी बीपी, जविप्रा, जयपुर।
15. श्री मलकियत सिंह, सहायक नगर नियोजक, जोन-6, जविप्रा जयपुर।

John
20/2/14
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

क्रमांक जविप्रा अति.मु.न.नि./बीपीसी/2014/डी-293

दिनांक:- 20/2/2014

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति० आयुक्त (पूर्व)/(प्रशासन)/(एलपीसी)/(भूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

John
20/2/14
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)